[2018] 13 एस.सी.आर. 804

उ.प्र. जल निगम एवं अन्य

बनाम

अजीत सिंह पटेल एवं अन्य

(सिविल अपील सं.– 11017–11018/2018)

15 नवम्बर, 2018

{कुरियन जोसेफ और ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्तिगण}

भारत का संविधानः

अनुच्छेद 136 – विशेष अनुमति याचिका–आदेश की पोषणीयता– सक्षम प्राधिकारी अपीलार्थी का आदेश दिनांकित 11.8.2017, जिसके द्वारा 122 उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू से ही अमान्य (आदितः शून्य) उद्घोषित–रिट याचिका में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2017 के आदेश द्वारा आदेश दिनांकित 11.08.2017 को रद्द कर दिया यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्राधिकरण अभिलिखित करने में विफल रहा। यह मूलभूत तथ्य कि दागी और बेदाग मामलों में अंतर करना संभव नहीं था; कि सभी उम्मीदवारों के अनियमितताओं का लाभ प्राप्त करने की संभावना थी और नियुक्तियों की समाप्ति संबंधित (नियुक्त उम्मीदवारों) को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना था। उच्चतम न्यायालय में अपील में, दिनांक 16.3.2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थियों को उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई थी–– सुधारों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं पर फिर से काम करने के आदेश के लिए–– दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने समीक्षा दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका का निपटारा अपीलार्थियों को दागी और बेदाग उम्मीदवार अलग करने की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला आदेश दिनांकित 25.7.2018 के द्वारा किया गया। उच्च न्यायालय के आदेशों दिनांकित 28.11.2017 एवं 25.07.2018 के खिलाफ अपील आदेशों की पोषणीयता के विरूद्ध धारित आदेश दिनांकित 28.11.2017 के खिलाफ अपील अनुज्ञेय नहीं, क्योंकि इससे पहले के अवसर पर, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को नए सिरे से चुनौती देने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। उच्चतम न्यायालय ने भी स्वतंत्रता अपीलार्थियों को नहीं दी थी कि पुनर्विचार आवेदन में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती दें–– अपीलार्थियों को सबसे पहले निर्णय दिनांकित 28.11.2017 के अनुसार पिछली जांच रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक सामग्री –– को ध्यान में रखते हुए एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने पर कार्य करना चाहिए। इसलिए, प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 28.11.2017 एवं 25.07.2018 को दी गयी चुनौती असफल होना चाहिए।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने धारित कियाः

1. 16 मार्च, 2018 के आदेश और/या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 अगस्त, 2018 के आदेश के साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों को दी गई स्वतंत्रता बहुत सीमित थी। इसका मानना है कि कोई अन्य विवाद खुला नहीं रखा गया था या समीक्षा आवेदन में या इस न्यायालय के समक्ष किसी भी बाद की कार्यवाही में उठाया जा सकता था। जैसे कोई स्वतंत्रता नहीं थी अपीलकर्ताओं को 28 नवंबर, 2017 के उच्च न्यायालय के फैसले को नए सिरे से चुनौती देने के लिए अनुमति दी गई है, इसका मतलब यह होगा कि अपीलकर्ता केवल समीक्षा (पुनर्विचार) आवेदन में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकते हैं, जिसे उच्च

न्यायालय ने 25 जुलाई, 2018 के अपने आदेश में दर्ज कारणों के लिए खारिज कर दिया था। अपीलार्थियों को ऐसी स्वतंत्रता के अभाव में, स्वयं के फैसले के खिलाफ नई विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति नहीं है। {पैरा 10} {818–सी–ई}

विनोद कपूर बनाम गोवा राज्य और अन्य (2012) 12 एससीसी 378: (2012) 8 एस.सी.आर. 1089; कुमारन सिल्क ट्रेड (पी) लिमिटेड (2) बनाम देवेंद्र और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 555ः {2006} 7 पूरक एससीआर 670; संध्या एजुकेशनल सोसाइटी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 7 एससीसी 701 – पर भरोसा किया।

2. पुनरीक्षण आवेदन में उच्च न्यायालय का निर्णय सौम्य है और निश्चित रूप से अपीलार्थियों के लिए अधिक प्रतिकूल नहीं है। क्योंकि, उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर, 2017 के अपने फैसले में इस कथन को दोहराया है–कि यह अपीलार्थियों के लिए खुला होगा कि वे दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करें और – प्रभावित उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने के बाद एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करें। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्य अभियंता द्वारा 11 अगस्त, 2017 को पारित आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से प्रभावित था, बिना नोटिस जारी किए और संबंधित उम्मीदवारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था। यह भी कि उक्त आदेश इस तथ्य को संदर्भित नहीं करता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दागी और बेदाग उम्मीदवारों के मामले में अंतर करने के लिए पहले से ही एक अभ्यास किया गया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा करना संभव नहीं था, जारी करने से पहले दिनांक 11 अगस्त, 2017 का प्रश्नगत (विवादित) आदेश। {पैरा 11} {818–एफ–एच; 819–ए}

3. विशेषज्ञों (भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर) द्वारा दी गई राय, जिस पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया था, निश्चित रूप से 11 अगस्त, 2017 को आदेश पारित होने से पहले उपयुक्त प्राधिकारी के लिए उपलब्ध नहीं थे। वास्तव में, उपयुक्त प्राधिकारी ने दो जांच रिपोर्टों को ध्यान में रखा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि दागी और बेदाग उम्मीदवारों में अंतर करने के लिए पहले से ही कोई कवायद की गई थी या ऐसा करना संभव नहीं था, ताकि पूरी चयन प्रक्रिया को अमान्य घोषित करने के निर्णय को बरकरार रखा जा सके। यदि उपयुक्त प्राधिकारी ने वह अभ्यास किया होता और 11 अगस्त, 2017 को मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेश में प्रतिबिंबित होने के लिए उस ओर से अपनी संतुष्टि दर्ज की होती, तो उच्च न्यायालय तब इस तय कानूनी स्थिति का पालन कर सकता था कि चयन करने में की गई अवैधताओं और अनियमितताओं की प्रकृति और सीमा की प्रत्येक मामले में जांच की जानी चाहिए ताकि मामले में अपनाई जाने वाली भविष्य की कार्रवाई के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। {पैरा 12} {819–बी–ई}

भारत संघ और अन्य बनाम। ओ. चक्रधर (2002) 3 एससीसी 146ः {2002} 1 एससीआर 1091 – संदर्भित।

4. जिन व्यक्तियों को गैरकानूनी रूप से लाभान्वित किया गया है या गलत तरीके से उनके चयन से वंचित किया गया है, ऐसे मामलों में, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत कारण पृच्छा नोटिस जारी करना न तो संभव होगा और न ही आवश्यक होगा। उस स्थिति में, एकमात्र विकल्प यह होगा कि पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए और चयन प्रक्रिया को नियुक्तियों के एक खंड (वर्ग) तक सीमित नहीं रखा जाए। {पैरा 12} {819–ई–एफ}

विरेंद्र कुमार गौतम और अन्य बनाम करुणा निधि उपाध्याय और अन्य (2016) 14 एससीसी 18; जोगिंदर पाल और अन्य बनाम पंजाब और अन्य राज्य (2014) 6 एससीसी 644ः {2014} 6 एससीआर 383; विकास प्रताप सिंह और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2013) 14 एससीसी 494ः {2013} 10 एससीआर 1114–पर निर्भर था। भारत संघ और अन्य बनाम ओ. चक्रधर (2002) 3 एससीसी 146ः {2002} 1 एससीआर 1091–प्रतिष्ठित।

5. अपीलकर्ताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते समय, पहले के अवसर पर 16 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने न तो 28 नवंबर, 2017 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा धारित निष्कर्ष को बाधित किया है और न ही अपीलकर्ताओं को एक नई विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से पुनर्विचार आवेदन में उक्त निष्कर्ष को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी है या उस मामले के लिए। इस न्यायालय के समक्ष सीमित याचिका यह थी कि अपीलकर्ताओं को प्रश्न और उत्तर पुस्तिकाओं पर फिर से काम करने और योग्यता सूची को संशोधित करने और प्रभावित उम्मीदवारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नया, तर्कपूर्ण आदेश जारी करने की अनुमति दी जाए। अन्य सभी प्रासंगिक सामग्रीध्दस्तावेज जो बन गए हैं उनके लिए उपलब्ध है। {पैरा 13 और 14} {820–ए–बी; डी–एफ}

6. इसलिए, प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28 नवंबर, 2017 और 25 जुलाई, 2018 को दी गई चुनौती विफल होना चाहिए, लेकिन इस स्पष्टीकरण के साथ कि अपीलार्थी का सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। {पैरा 15} {820–जी}

पी. आर. देशपांडे बनाम मारुति बलराम हैबट्टी (1998) 6 एससीसी 507 {1998} 3 एस. सी. आर. 1079–संदर्भित।

संदर्भित निर्णयज विधि

{1998} 3 एससीआर 1079	संदर्भित किया गया है	पैरा 9
{2012} 8 एससीआर 1089	उस पर भरोसा करें	पैरा 10
{2006} 7 पूरक। एससीआर 670	उस पर भरोसा करें	पैरा 10
(2014) 7 एस. सी. सी. 701	उस पर भरोसा करें	पैरा 10
{2002} 1 एससीआर 1091	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
	प्रतिष्ठित	पैरा 12
(2016) 14 एससीसी 18	उस पर भरोसा करें	पैरा 12
{2014} 6 एससीआर 383	उस पर भरोसा करें	पैरा 12
{2013} 10 एससीआर 1114	उस पर भरोसा करें	पैरा 12

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 11017–11018/2018

उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 28.11.2017 के रिट याचिका सं.–37143/2017 में इलाहाबाद में न्यायपालिका और 2018 के पुनर्विचार आवेदन संख्या 2/2018 में निर्णय और आदेश दिनांकित 25.07.2018

उपस्थित दलों के लिए– विकास सिंह, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुश्री वंशजा शुक्ला, ऋषभ कपूर, एम. निजामुद्दीन पाशा, सुश्री रंजीता रोहतगी, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, गौरव मेहरोत्रा, विक्रांत यादव, तल्हा अब्दुल रहमान, सुश्री नेहा मीणा, कुमार अनुराग सिंह, मोहम्मद। आतिफ, सुश्री तुलिका मुखर्जी, देवेश मलान, अभिषेक, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वाराः

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. विलम्ब को माफ कर दिया गया। अनुमति दी गई।

2.. ये अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर, 2017 को रिट संख्या 37143/2017 में और पुनर्विचार आवेदन सं.–2/2018 में दिनांक 25 जुलाई 2018 को दिए गए निर्णय और आदेश पर आपत्ति करती हैं। मुख्य अभियंता/अधिष्ठान–2–1, यूपी जल निगम (संक्षेप में ''निगम'') द्वारा पारित 11 अगस्त, 2017 के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी क्रमांक 1 से 11 द्वारा उक्त रिट याचिका दायर की गई थी। मुख्य अभियंता का उक्त निर्णय निगम के निदेशक मंडल की 26 जुलाई, 2017 को हुई 166 वीं बैठक में लिए गए निर्णय से पहले लिया गया था। यह पाया गया कि सहायक अभियंता (सिविल) के 113 पदों पर 5 नियुक्तियाँ की गईं। दिनांक 19 नवंबर, 2016 की अधिसूचना के अनुसार सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के पद और सहायक

अभियंता (कंप्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स) के 4 पद प्रारंभ से ही शून्य थे।

3. उच्च न्यायालय ने दिनांक 28 नवंबर, 2017 के सामान्य निर्णय और आदेश के तहत उक्त रिट याचिका और संबंधित मामलों को अनिवार्य रूप से इस विचार के साथ अनुमति दी कि मुख्य अभियंता द्वारा 11 अगस्त, 2017 को पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के नियमों का उल्लंघन था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 122 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को शुरू से ही अमान्य घोषित करने वाला मुख्य अभियंता का उक्त आदेश इस मूलभूत तथ्य को दर्ज करने में विफल रहा कि दागी और बेदाग मामले में अंतर करना संभव नहीं था और इसकी संभावना थी चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं का लाभ इन सभी को मिल रहा है; और फिर भी सभी 122 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को एक आदेश द्वारा समाप्त करने में जल्दबाजी की गई, वह भी संबंधित नियुक्तियां उम्मीदवारों (एप्वाइण्टीज) को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना। विषय चयन प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं के संबंध में, जैसा कि 11 अगस्त, 2017 के आदेश में उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने माना कि संबंधित नियुक्त व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस अपरिहार्य था।

4. व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5410–5419/2018 दायर की। इसे दिनांक 16 मार्च, 2018 के आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों में निस्तारित किया गयाः

''आदेश

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं को पता चला कि दोषपूर्ण प्रश्न और गलत उत्तर कुंजी थे, उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ताओं को मेरिट सूची को फिर से तैयार करने की अनुमति देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में व्यक्तिगत नोटिस पर जोर देकर गलत किया है। इस संबंध में उन्होंने विकास प्रताप सिंह और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, (2013) 14 एससीसी 494 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी बताते हैं कि क्या प्रश्न दोषपूर्ण थे या मुख्य उत्तर गलत थे, ये विवादित प्रश्न हैं और इसलिए, उत्तरदाताओं को जांच में भाग लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संदर्भित इस न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है।

जो भी हो, आक्षेपित निर्णय को पढ़ने के बाद, हमें नहीं लगता कि दरवाजा अभी भी बंद है। यह याचिकाकर्ताओं के लिए है, यदि उन्हें सलाह दी जाती है, तो सुधार के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से तैयार करने की स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क करें, यदि उच्च न्यायालय का भी मानना है कि सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

5. अपीलकर्ताओं को दी गई स्वतंत्रता के अनुसरण में, सिविल विविध पुनर्विचार याचिका सं.–2/2018 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। अपीलकर्ताओं ने उक्त समीक्षा आवेदन में निम्नलिखित आधार उठाएः

''आधार

(1) क्योंकि इस माननीय न्यायालय ने मामले का फैसला करते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि चयन में कदाचार हुआ है, हालांकि, तकनीकी आधार पर सुनवाई का अवसर दिया गया था, इसलिए, चयन के आदेश को रद्द कर दिया गया था और उन्हें नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण को दी गई स्वतंत्रता के अधीन बहाल करने और वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

(2) क्योंकि इस माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि 113 पदों के विरुद्ध एक बार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और वे साक्षात्कार के लिए पात्र भी नहीं थे और अंततः 113 पदों में से 26 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए भी अर्हता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए, गलत तरीके से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।
(3) क्योंकि इस माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के 5 पदों में से 6 नए उम्मीदवार पात्र पाए जा रहे हैं और 4 उम्मीदवार जो पहले साक्षात्कार के लिए पात्र पाए गए थे वे पात्र नहीं पाए गए हैं साक्षात्कार के लिए और अंतिम रूप से चयनित 5 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए भी योग्य नहीं पाए गए, इसलिए, उन पर साक्षात्कार के लिए भी विचार नहीं किया जा सकता है।
(4) क्योंकि इस माननीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि सहायक अभियंता (कम्प्यूटर) के पद पर नियुक्ति के लिए 8 उम्मीदवार जो साक्षात्कार के लिए योग्य पाए जा रहे थे, वे साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं पाए गए और 4 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार जो का चयन कर लिया गया है, जबकि वे साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए पूरी चयन प्रक्रिया खराब है।
(5) क्योंकि इस माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए बहाली का निर्देश दिया है और परिणामस्वरूप जो व्यक्ति साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए अनुमति देने की अनुमति दी गई है।
(6) क्योंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चला गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की विशेष अनुमति (सी) संख्या (एस) 5410–5419/2018 में वर्तमान प्रतिवादियों (एसएलपी में याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया है कि वे संपर्क कर सकते हैं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष ताकि न्यायालय द्वारा उचित निर्देश दिया जा सके।
(7) क्योंकि माननीय न्यायालय ने मामले का फैसला करते हुए यह माना है कि आरक्षण अस्थायी पद पर लागू नहीं है, यह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, क्योंकि आरक्षण अस्थायी नियुक्ति या स्थायी नियुक्ति दोनों पर लागू होता है।
(8) क्योंकि इस माननीय न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें बहाल करने और वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जो उन व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए अनुमति देने के समान है जो साक्षात्कार के लिए भी योग्य नहीं हैं, इसलिए, उन्हें बहाल करने और वेतन का भुगतान करने का आदेश पारित किया जा रहा है। उन्हें वेतन देना कानून के तहत (अनुज्ञेय) स्वीकार्य नहीं है।
(9) क्योंकि अस्थायी पदों के विरुद्ध पूरी नियुक्तियाँ अस्थायी हैं, इसलिए, अधिकारियों को आदेश पारित करने का अधिकार है, यदि उन्हें कर्मचारियों के साथ काम जारी नहीं रखना है।
(10) क्योंकि चयन कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया गया था, क्योंकि पूरी नियुक्ति जल्दबाजी में की गई थी, अंकों की उचित गणना और जांच किए बिना, आवश्यकतानुसार उत्तर कुंजी प्रकाशित किए बिना और कुछ अन्य आरोप भी हैं जिनके लिए एसटीएफ पहले से ही जांच कर रही है।"

6. उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई, 2018 को निम्नलिखित शर्तों में समीक्षा आवेदन (पुनर्विचार आवेदन) का निपटारा किया:

"प्रबंध निदेशक, यूपी जल निगम, लखनऊ और मुख्य अभियंता, यूपी जल निगम, लखनऊ दोनों ने 28.11.2017 के फैसले और आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसके द्वारा इन रिट याचिकाओं का एक समूह अंतिम रूप से निर्णीत किया गया था।

यूपी राज्य के विद्वान महाधिवक्ता की दलील यह है कि आवेदकों को एक नया आदेश पारित करने में दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिसके लिए स्वतंत्रता दी गई है।

रिट याचिकाओं में प्रश्नगत आदेश दिनांक 11.08.2017 का था, जो मुख्य अभियंता, जल निगम द्वारा पारित किया गया था, जो पूरे चयन को रद्द करता है।

याचिका को स्वीकार करते हुए, हमने माना है कि रिट याचिका में दिया गया आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है और दागी व बेदाग उम्मीदवारों को अलग करने के लिए कोई कदम उठाए बिना समग्र रूप से चयन रद्द नहीं किया जा सकता है। अंत में अदालत ने रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रभावित पक्षों को फैसले में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नए सिरे से तर्कसंगत आदेश पारित करने की अनुमति दी थी।
अपीलार्थियों ने आज तक कोई नया आदेश पारित नहीं किया है।
नया आदेश पारित करते समय वे मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार कर सकते हैं और जिस तरीके से वे नया आदेश पारित करेंगे, उसके लिए उन्हें अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं मानते हैं कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए न्यायालय से किसी स्वतंत्रता/अनुमति की आवश्यकता है।
हमें उस फैसले और आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं मिली जिसकी समीक्षा की मांग की गई है।
समीक्षा (पुनर्विचार) आवेदन का निस्तारण किया जाता है।" (जोर दिया गया)

7. वर्तमान अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने समीक्षा आवेदन में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश के साथ–साथ रिट याचिका में पारित मुख्य निर्णय और आदेश पर भी हमला किया है, जो विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं.– 5410–5419/2018 में चुनौती का विषय था। ये अपीलें अपीलकर्ताओं द्वारा 19 अप्रैल, 2018 को उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन के बावजूद दायर की गई हैं कि उच्च न्यायालय के 28 नवंबर, 2017 के आदेश में दिए गए निर्देश का 15 मई, 2018 को या उससे पहले अनुपालन किया गया।

8. उत्तरदाताओं ने इन विशेष अनुमति याचिकाओं की विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं। सबसे पहले, क्योंकि आक्षेपित निर्णय और आदेश को पहले ही अपीलकर्ताओं द्वारा वर्ष 2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5410–5419/2018 में चुनौती दी गई थी। उक्त एसएलपी का निपटारा 16 मार्च, 2018 को किया गया था, जिसमें अपीलकर्ताओं को दिनांकित 28 नवम्बर 2017 फैसले को पुनः चुनौती देने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अपीलकर्ताओं को लगातार याचिकाएँ दायर करके एक ही फैसले को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि इस आपत्ति को बरकरार रखा जाता है, तो उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है, वर्तमान अपीलों को अपीलकर्ताओं द्वारा, केवल समीक्षा आवेदन पर पारित निर्णय और आदेश के संबंध में ही आगे बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, उस मामले में, संध्या एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1 के आदेश के मद्देनजर, केवल समीक्षा आवेदन पर दिए गए फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। इसके बाद उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय को दिए गए वचन से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, खासकर जब अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य है। इस न्यायालय द्वारा 16 मार्च, 2018 को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5410–5419/2018 में पारित आदेश और वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में 20 अगस्त, 2018 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश सहित समीक्षा आवेदन में पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए याचिकाओं में, उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि अपीलकर्ताओं को इस तर्क के अलावा कोई अन्य आधार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि अपीलकर्ताओं को नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता के साथ दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करके योग्यता सूची को संशोधित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं को मुख्य अभियंता द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2017 के समर्थन में किसी अन्य तर्क का आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि, उस आदेश को पहले ही रद्द कर दिया गया है और उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देते समय फैसले में दर्ज कारणों के लिए अलग रखा गया है और 16 मार्च, 2018 के आदेश के तहत इस

न्यायालय को कौन से कारण बताए गए हैं।
1(2014) 7 एससीसी 701

9. हालाँकि, अपीलकर्ताओं का आग्रह है कि 16 मार्च, 2018 को इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटान अपीलकर्ताओं के लिए उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं.–37143/2017 में पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांकित 28 नवंबर, 2017 को चुनौती देने के रास्ते में नहीं आएगा। चूँकि 16 मार्च, 2018 के आदेश में स्पष्ट संकेत है कि इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज नहीं किया था; लेकिन अपीलकर्ताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं को सुधार के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। यह आग्रह किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को मुख्य अभियंता द्वारा पारित 11 अगस्त, 2017 के आदेश को बरकरार रखने और बहाल करने के लिए इस न्यायालय को राजी करने में तकनीकी बातें आड़े नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पूरी चयन प्रक्रिया अनियमितताओं और धोखाधड़ी से भरी हुई थी। यहां तक कि आईपीसी की धारा 409, 420, 120 बी/201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करके तत्कालीन अध्यक्ष और ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी)। अपीलकर्ताओं के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता उसी चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त अन्य सभी उम्मीदवारों की नियुक्तियों को समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं। अपीलकर्ता भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के विशेषज्ञों की इस राय के मद्देनजर यह जरूरी हो गया है कि दागी और बेदाग उम्मीदवारों की पहचान और पृथक्करण संभव नहीं है। उक्त विशेषज्ञ, फाइलों और सीडी की जांच करने पर, निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जैसा कि अपीलकर्ताओं को दिनांक 11 सितंबर, 2018 को संबोधित संचार में दर्ज किया गया है:

''निष्कर्ष:

1. ''दागी'' उम्मीदवारों की पहचान करने का तात्पर्य अनिवार्य रूप से उन उम्मीदवारों की पहचान करना है, जिनके प्रतिक्रिया डेटा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा की समाप्ति के बाद संशोधित किया गया हो सकता है। इस मूल्यांकन को करने के लिए, प्रासंगिक चेकसम जानकारी के साथ उम्मीदवारों का मूल प्रतिक्रिया डेटा (परीक्षा विंडो बंद होने पर तुरंत लिया गया) आवश्यक है। उपरोक्त अवलोकन 1 के अनुसार, यह संदर्भ (चेकसम) जानकारी न तो सेवा प्रदाता द्वारा रिकॉर्ड की गई थी और न ही यूपीजेएन को सूचित की गई थी। इसलिए दागी और गैर दागी उम्मीदवारों की पहचान और पृथक्करण संभव नहीं है।

2. जानकारी के अभाव में (अवलोकन 1 के अनुसार) और अवलोकन 3–4 को नोट करके, दिए गए फॉर्म (अवलोकन 56) में डेटा की प्रामाणिकता को स्वीकार औरध्या सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

3. अवलोकन 710 के मद्देनजर पूरी प्रक्रिया की सत्यता भी संदिग्ध है।

4. उपरोक्त अवलोकन 8 को ध्यान में रखते हुए, यह उचित है कि सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवार प्रतिक्रिया फाइलें, बल्कि जल्दबाजी में बनाई गई थीं और निश्चित रूप से अपेक्षा के अनुरूप नहीं थीं। किसी भी मान्य जानकारी के अभाव में, इस बात की पूरी संभावना है कि इन उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया फाइलों (सीडी पर प्रदान की गई) के साथ छेड़छाड़ की गई होगी।

अंतिम नोट्स:

उपरोक्त सभी टिप्पणियाँ इस अंतर्निहित शर्त पर आधारित हैं कि अधोहस्ताक्षरी के साथ साझा किए गए सभी दस्तावेज और डेटा की सत्यापित उत्पत्ति है, और कर्मियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रियाएं 9 और 10 सितंबर, 2018 को यूपीजेएन प्रधान कार्यालय लखनऊ में अधोहस्ताक्षरी के साथ बातचीत के लिए उपलब्ध कराई गईं।

इसके अतिरिक्त – यह रिपोर्ट दो तकनीकी शब्दों का उपयोग करती है, जिन्हें आपकी सुविधा के लिए नीचे समझाया जा रहा है।

Û चेकसमः चेकसम एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न डिजिटल डेटा का एक छोटा ब्लॉक जैसे एमडी5 (मैसेज डाइजेस्ट 5), एसएचए 1 (सिक्योर हैश 1), एसएचए 2, आदि जब यह किसी दिए गए स्रोत डेटा (फाइल) पर काम करता है। उत्पन्न डिजिटल डेटा का यह छोटा ब्लॉक एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह है और उस फाइल के लिए अद्वितीय है जिसके लिए इसे तैयार किया गया था। ऐसी स्थिति में जब स्रोत फाइल बदलती है या किसी भी रूप में संशोधित होती है, तो इसका चेकसम बदल जाएगा।

Û एच.टी.एम.एलः हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मूल कंप्यूटर भाषा है, जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है।

मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट आपके पत्र 104/सीई (ई 21) कैंप/18 दिनांक 31.8.2018 में उठाए गए दो प्रश्नों का आपकी संतुष्टि के लिए उत्तर देगी।''

एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा 15 सितंबर, 2018 को दी गई राय पर भी भरोसा किया गया है, जो इस प्रकार हैः

"उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स एप्टेक लिमिटेड के बीच प्रासंगिक समझौतों और प्रासंगिक दस्तावेजों को पढ़ने के बाद, मेरे पास विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैं। घटनाओं का संक्षिप्त कालक्रम इस प्रकार हैः

(क) परीक्षा 16 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई थी।

(ख) 16 दिसंबर 2016 को आयोजित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साक्षात्कार 30 दिसंबर और 31 दिसंबर 2016 के बीच आयोजित किए गए थे।

(ग) अंतिम परिणाम 3 जनवरी, 2017 को घोषित किया गया।

(घ) 27 फरवरी, 2017 को मेसर्स एप्टेक लिमिटेड ने यूपी जल निगम लिमिटेड को कई सीडी पर परिणाम फाइलें सौंपीं।

मेसर्स एप्टेक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत फाइलों की सामग्री की जांच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि सीडी पर किसी भी फाइल की सबसे प्रारंभिक संशोधन तिथि 16 दिसंबर, 2016 के काफी बाद की है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण में, उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद मुख्य सर्वर (वर्तमान मामले में क्लाउड सर्वर) पर अपलोड कर दी जाती है। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद, प्रत्येक उम्मीदवार की प्रतिक्रिया सुरक्षित कर ली जाती है ताकि तत्पश्चात् प्रक्षेप या हेरफेर संभव न हो। वर्तमान मामले में, प्रस्तुत फाइल को 16 दिसंबर, 2016 के बाद संशोधित किया गया था जो एक मजबूत संदेह पैदा करता है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस अवधि के दौरान उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया पुस्तिकाओं में हेरफेर नहीं किया गया था। वर्तमान परिस्थिति में, स्वतंत्र रूप से यह पुष्टि करना संभव नहीं है कि उपलब्ध कराई गई सीडी में उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया पत्रक परीक्षा की तारीख पर उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के समान हैं। मेसर्स एप्टेक लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सीडी में परीक्षा के दिन के बराबर अंतिम संशोधन तिथि वाली कोई फाइल नहीं है। चूंकि मुझे सूचित किया गया है कि क्लाउड सर्वर पर प्राथमिक डेटा अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए मेरे लिए यह पुष्टि करना मुश्किल है कि सीडी पर प्रदान किया गया डेटा परीक्षा के पूरा होने पर तुरंत उपलब्ध डेटा की एक सटीक प्रतिलिपि है।

सीडी में छात्रों द्वारा चुने गए विकल्पों के व्यक्तिगत माउस क्लिक और टाइमस्टैम्प वाला कोई ऑडिट ट्रेल प्रदान नहीं किया गया है। इस तरह के ऑडिट ट्रेल से यह पुष्टि करना आसान हो जाएगा कि परीक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर उस उत्तर पुस्तिका के समान हैं जिस पर उन्हें बाद में ग्रेड दिया गया था। इस तरह का ऑडिट ट्रेल किसी भी विसंगतियों और चुनौतियों को निपटाने में सहायक होता है जो परीक्षा के उम्मीदवार बाद में उठा सकते हैं। चूंकि मेसर्स एप्टेक लिमिटेड ने ऐसा कोई

ऑडिट ट्रेल प्रदान नहीं किया है, इसलिए मेरे लिए यह पुष्टि करना और पुष्टि करना संभव नहीं है कि छात्र की वास्तविक प्रतिक्रियाओं और उन प्रतिक्रियाओं के बीच कोई विसंगतियां नहीं हैं, जिनका उपयोग ग्रेडिंग के लिए किया गया था।

इसके अलावा, मुझे बताया गया है कि जेईई (मेन्स) जैसी सार्वजनिक परीक्षाओं में मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। जेईई (एडवांस्ड) और गेट का पालन नहीं किया गया। इन परीक्षाओं में परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित करना, उम्मीदवारों से कोई आपत्ति या खंडन आमंत्रित करना, इन प्रतिक्रियाओं को समेकित करना और बाद में उत्तर कुंजी को फ्रीज करना एक प्रथागत अभ्यास है। अभ्यर्थियों को ऐसा अवसर प्रदान किये जाने के बाद ही उत्तर पुस्तिकाओं की ग्रेडिंग की जाती है। वर्तमान मामले में इस सामान्य प्रथा का पालन नहीं किया गया है, जिससे संदेह के साथ–साथ यह आशंका भी पैदा होती है कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया पुस्तिकाओं से समझौता किया गया होगा। यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन से पहले ऐसा अवसर दिया गया होता, तो इस विशेष परीक्षा की उत्तर कुंजी में त्रुटियाँ कम हो सकती थीं या पूरी तरह समाप्त हो सकती थीं।

मेसर्स एप्टेक लिमिटेड के पास प्राथमिक डेटा की कमी को ध्यान में रखते हुए, सीडी पर उपलब्ध कराए गए डेटा की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना संभव नहीं है, और इसलिए दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना संभव नहीं है।

यह आपके पत्र संख्या 110/सीई ई–2–1 (शिविर)/2018, दिनांक 04.09.2018 के जवाब के साथ है।''

अपीलकर्ताओं ने पीआर देशपांडे बनाम मारुति बलराम हैबत्ती2 के निर्णय पर भरोसा रखते हुए तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को दिए गए वचन के बावजूद, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने के लिए खुला है।

10. हमने हस्तक्षेप आवेदनों में आवेदकों के वकील सहित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। हम सबसे पहले 16 मार्च, 2017 के इस न्यायालय के आदेश की प्रभावकारिता की ओर मुड़ना उचित समझते हैं। दो न्यायाधीशों की पीठ (जिनमें से हम में से एक, मा. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ थे) द्वारा पारित उक्त आदेश को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर पक्ष), इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की सीमित शिकायत पर ध्यान दिया कि 2 (1998) 6 एससीसी 507 (पैरा 16 और 17) में दोषपूर्ण प्रश्नों और दिए गए गलत उत्तरों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं को मेरिट सूची को संशोधित करने की अनुमति देनी चाहिए थी . उस स्थिति पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उस सीमित उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। ऐसा करते समय, अपीलकर्ताओं को 28 नवंबर, 2017 के आक्षेपित फैसले को इस न्यायालय के समक्ष नए सिरे से चुनौती देने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। उस समय ऐसी कोई आजादी नहीं मांगी गई थी. यह स्थिति वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित दिनांक 20 अगस्त, 2018 के आदेश में बहाल की गई है, जो इस प्रकार हैः

''आदेश

"याचिकाकर्ताओं को दी गई एकमात्र स्वतंत्रता और जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने ठीक ही समझा है, दिनांक 16.03.2018 के आदेश के अनुसार दागियों को बेदागों से अलग करना था।

हम याचिकाकर्ताओं को आज से एक महीने के भीतर सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जिसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2017 और इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 के आदेश के अनुसार क्या कदम उठाए गए हैं।

20.09.2018 को सूचीबद्ध करें।

याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं और समय बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।'' (जोर दिया गया)

हममें से एक (मा. न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ) इस आदेश में भी एक पक्ष थे। 16 मार्च, 2018 के आदेश औरध्या 20 अगस्त, 2018 के आदेश को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को दी गई स्वतंत्रता बहुत सीमित थी। यह मानता है कि समीक्षा आवेदन में या इस न्यायालय के समक्ष किसी भी बाद की कार्यवाही में कोई अन्य विवाद खुला नहीं रखा गया था या उठाया नहीं जा सकता था। चूंकि अपीलकर्ताओं को 28 नवंबर, 2017 के उच्च न्यायालय के फैसले को नए सिरे से चुनौती देने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है, इसका मतलब यह होगा कि अपीलकर्ता केवल समीक्षा (पुनर्विचार) आवेदन में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकते हैं, जो कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2018 (ऊपर पैराग्राफ संख्या 6 में पुनरुत्पादित) में दर्ज कारणों से खारिज कर दिया था। अपीलकर्ताओं को ऐसी स्वतंत्रता के अभाव में, उसी फैसले के खिलाफ नई विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति नहीं है। {देखें विनोद कपूर बनाम गोवा राज्य और अन्य 3, कुमारन सिल्क्स ट्रेड (पी) लिमिटेड. (2) बनाम देवेन्द्र और अन्य 4 और संध्या एजुकेशनल सोसाइटी (सुप्रा)},

11. उत्तरदाताओं ने संध्या एजुकेशनल सोसाइटी (सुप्रा) की उक्ति पर भरोसा किया है कि केवल समीक्षा आवेदन में फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जैसा भी हो, समीक्षा आवेदन में उच्च न्यायालय का निर्णय सौम्य है और निश्चित रूप से अपीलकर्ताओं के लिए अधिक प्रतिकूल नहीं है। उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर, 2017 के अपने फैसले में इस आदेश को बहाल कर दिया है कि यह अपीलकर्ताओं के लिए खुला होगा कि वे दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करें और प्रभावित उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने के बाद एक नया, तर्कसंगत आदेश पारित करें। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2017 को पारित आदेश को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को प्रभावित करता है, नोटिस जारी किए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है। संबंधित उम्मीदवारों और इसलिए भी कि उक्त आदेश इस तथ्य का उल्लेख नहीं करता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दागी और बेदाग उम्मीदवारों के मामले को अलग करने के लिए पहले से ही एक अभ्यास किया गया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ऐसा करना संभव नहीं था, आक्षेप जारी करने से पहले आदेश दिनांक 11 अगस्त 2017.

12. अपीलकर्ताओं ने अब विशेषज्ञों (भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर) द्वारा दी गई राय पर भरोसा किया है, जैसा कि 20 अगस्त, 2018 को इस न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया था। 11 अगस्त, 2016 को आदेश पारित होने से पहले उपयुक्त प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं था। वास्तव में, उपयुक्त प्राधिकारी ने दो जांच रिपोर्टों को ध्यान में रखा, लेकिन इससे यह साबित नहीं हुआ कि दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करने के लिए पहले से ही एक अभ्यास किया गया था या ऐसा करना संभव नहीं है, इसलिए पूरी चयन प्रक्रिया को शून्य घोषित करने के फैसले को बरकरार रखा जाए। यदि उपयुक्त प्राधिकारी ने वह अभ्यास किया होता और उस संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज की होती, जो 11 अगस्त, 2017 को मुख्य

3(2012) 12 एससीसी 378 (पैरा 9 से 12)

4(2006) 8 एससीसी 555 (पैरा 6, 8 व 9)

अभियंता द्वारा पारित आदेश में परिलक्षित होती, तो उच्च न्यायालय ओ. चक्रधर बनाम भारत संघ 5 में निर्धारित कानूनी स्थिति का पालन कर सकता था कि चयन के संचालन में की गई अवैधताओं और अनियमितताओं की प्रकृति और सीमा की प्रत्येक मामले में जांच की जानी चाहिए ताकि मामले में अपनाई जाने वाली भविष्य की कार्रवाई के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इसके अलावा, यदि की गई रिष्टि (मिसचीफ) इतनी व्यापक और सर्वव्यापी है, परिणाम को प्रभावित कर रही है ताकि उन

व्यक्तियों को चुनना मुश्किल हो जाए जिन्हें गैरकानूनी रूप से लाभ हुआ है या गलत तरीके से उनके चयन से वंचित किया गया है, तो ऐसे मामलों में, प्रत्येक चयनित को व्यक्तिगत कारण बताओ नोटिस जारी करना न तो संभव होगा और न ही आवश्यक होगा। उस स्थिति में, एकमात्र विकल्प यह होगा कि पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए और नियुक्तियों के एक वर्ग तक सीमित न रखा जाए। वीरेंद्र कुमार गौतम और अन्य बनाम करुणा निधान उपाध्याय और अन्य 6 के हालिया फैसले में इस दृष्टिकोण को दोहराया गया है। (जोगिंदर पाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 7 भी देखें)। ओ. चक्रधर (सुप्रा) और विकास प्रताप सिंह और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 8 के अपीलकर्ताओं ने दो निर्णयों के आदेश पर भरोसा किया। वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति में से अपीलकर्ताओं को कोई फायदा नहीं होगा।

13. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि 16 मार्च, 2018 के आदेश के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते समय, इस न्यायालय ने 28 नवंबर, 2017 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को परिवर्तित नहीं किया है, न ही अपीलकर्ताओं को समीक्षा आवेदन में या उस मामले के लिए नई विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उक्त निष्कर्ष को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी। 28 नवंबर, 2017 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय का प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैः

''उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय है कि दिनांक 11.8.2017 का विवादित (प्रश्नगत) आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए बिना नोटिस जारी किए और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया है, भेद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। दागी और गैर दागी उम्मीदवारों के मामले में आक्षेपित आदेश पारित करते समय निष्कर्ष पर पहुंचना होगा क्योंकि दिनांक 11.8.2017 का आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है और रद्द किए जाने योग्य है।''

14. इस न्यायालय के समक्ष सीमित याचना, जैसा कि 16 मार्च, 2018 के आदेश के पहले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया था, कि अपीलकर्ताओं को प्रश्न और उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से काम करने और मेरिट सूची को संशोधित करने और नए सिरे से जारी करने की, प्रभावित अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए अनुमति दिया गया। वह विकल्प खुला रखा गया है. इसे आगे बढ़ाना अपीलकर्ताओं

5(2002) 3 एससीसी 146 (पैरा 7, 8 और 12)

6(2016) 14 एससीसी 18 (पैरा 57 से 59 और 61)

7(2014) 6 एससीसी 644 (पैरा 32 से 36 और 38 से 40)

8(2013) 14 एससीसी 494

पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं को, सबसे पहले, उच्च न्यायालय के 28 नवंबर, 2017 के फैसले पर कार्य करना चाहिए, जिसके तहत मुख्य अभियंता द्वारा 11 अगस्त, 2017 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है। इसके बाद अपीलकर्ता नया, तर्कसंगत आदेश पारित करके कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में, ऐसा करते समय, अपीलकर्ता पिछली जांच रिपोर्टों के साथ–साथ अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री/दस्तावेजों को भी ध्यान में रख सकते हैं जो उन्हें उपलब्ध हो गए हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने ''आईआईआईटी इलाहाबाद और आईआईटी कानपुर'' के विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय की प्रभावकारिता के बारे में विस्तार से नहीं बताया है।

15. उपरोक्त के मद्देनजर, 28 नवंबर, 2017 और 25 जुलाई, 2017 के आक्षेपित फैसले को चुनौती विफल होनी चाहिए, लेकिन इस स्पष्टीकरण के साथ कि निगम का सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार एक नया, तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

16. यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने उसी चयन प्रक्रिया के तहत अन्य चयनित उम्मीदवारों सहित उत्तरदाताओं के खिलाफ अपीलकर्ताओं के लिए खुली कार्रवाई के गुण–दोष पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त की है। इस संबंध में सभी प्रश्न खुले छोड़ दिए गए हैं।

17. सभी अंतर्वर्ती आवेदनों सहित अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। खर्चा के लिए कोई आदेश पारित नहीं।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील निष्पादित

समर्पित द्वारा:
संजीव कुमार पाण्डेय
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)
गोपालगंज